ISSN: 0024 -595X

THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL AND PARLIAMENTARY STUDIES

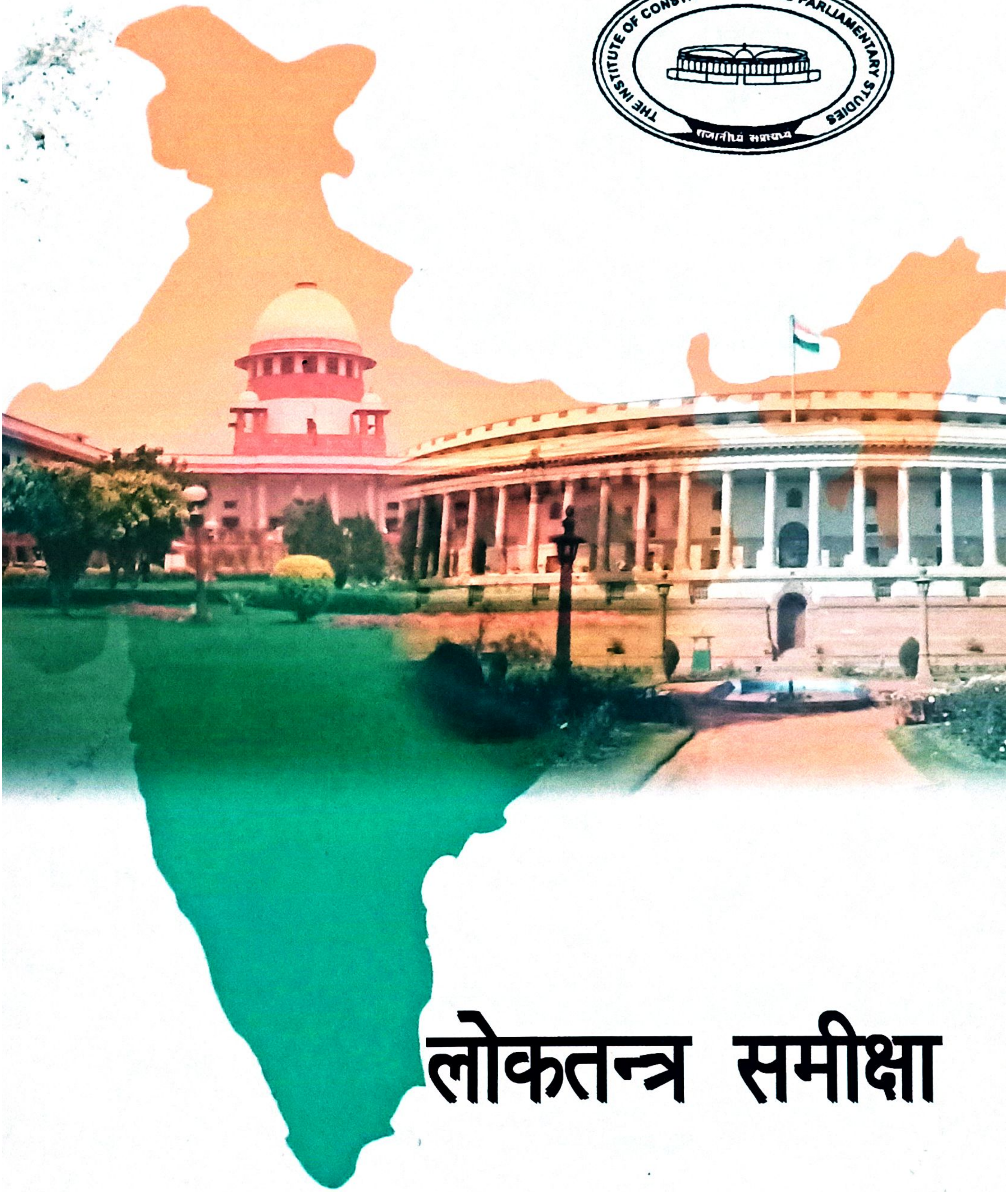

# लोकतन्त्र समीक्षा

खण्ड 47 अंक 1-4 जनवरी – दिसम्बर 2015

# विषय सूची

खण्ड 47 अंक 1- 4 जनवरी - दिसम्बर 2015

1. जलवायु परिवर्तन और संपोषणीय विकास : मुद्दे और भारतीय पक्ष
*जितेन्द्र कुमार पाण्डेय* 1

2. भारत में ई-डेमोक्रेसी : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ
*जयकुमार मिश्रा* 14

3. पूंजीवाद एवं समाजवाद का विकल्प : एकात्म मानववाद
*सुनील कुमार तिवारी* 25

4. माओवाद का प्रसार एवं दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था : उत्तर प्रदेश के 'सोनभद्र' जनपद का अनुभव
*राम बिहारी*
*सी.एस.सूद* 35

5. 2014 के संसदीय चुनाव में वामपंथी दलों की भूमिका
*राम बहादुर वर्मा* 52

6. सूचना के अधिकार का प्रयोग एवं मूल्यांकन
*प्रीति*
*शशि प्रभा* 63

7. अहिंसा और गाँधी
*कामना जैन* 74

8. भारतीयता के विभिन्न आयाम : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
*अमित कुमार सिंह* 85

9. लोकतांत्रिक देशों में नागरिक समाज की भूमिका
*निभा राठी*
*एम.एम. सेमवाल* 95

10. गठबंधन सरकारों का भविष्य
*भगवानदास* 102

11. भारत में सतर्कता प्रशासन की नवीन पहल : एक अध्ययन
*अनिल कुमार पारीक* 111

12. 'रिपब्लिक' की दार्शनिकता को आत्मसात करता एक व्यक्तित्व : नरेन्द्र मोदी
*अलका गोयल* 125

# भारत में ई-डेमोक्रेसी : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ

*जयकुमार मिश्रा**

आधुनिक संचार क्रान्ति के युग में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को तकनीक से जोड़कर एक अभिनव स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है जिससे कि शासन को और अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सके। इसमें जनता नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में सहभागी बनकर अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप कानून बनाने की पहल करती है। ई-डेमोक्रेसी सरकार के दैनिक शासन-प्रशासन के द्वारा बनायी जाने वाली नीतियों एवं लिए जाने वाले निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जनता तक शीघ्रता के साथ पहुँचाना और जनता की प्रतिक्रियाओं के प्रति उचित व्यवहार करना है जिससे कि जन-सहभागिता, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक उत्तरदायित्व के महान लोकतांत्रिक मूल्यों को तकनीक की सहायता से त्वरित एवं प्रभावी बनाया जा सके।

इस शोधपत्र में भारत में सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली क्रान्ति का हमारी संवैधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं-

- ई-डेमोक्रेसी ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी बनाकर उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों एवं बनायी जाने वाली नीतियों में पारदर्शिता बढ़ायी है। इसने भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत बनाया है।

- ई-डेमोक्रेसी ने जनकेन्द्रित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद की है। इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और राजनीतिक दल और मतदाताओं के पारस्परिक सम्बन्ध मजबूत हुए हैं।

---

* अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ.प्र), ई-मेल. jaikumarmishrapolsc@ yahoo.com

- सुशासन के साथ ही जन शिकायतों के त्वरित समाधान में ई-डेमोक्रेसी काफी सफल रही है।

वस्तुतः 20 वीं सदी का अंतिम दशक देश में दो बड़े परिवर्तनों को प्रारम्भ करता है- वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ाव तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रान्ति। वैश्वीकरण ने देश में उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की तो वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति, समाज एवं राज्य के बीच पहले से चले आ रहे जुड़ाव को और भी सघन एवं तीव्र कर दिया। इन दोनो को परस्पर अन्योन्याश्रित करके हम लोकतंत्र की अब तक की यात्रा का विश्लेषण करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र आधुनिक तकनीक के सहारे किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस शोध-पत्र में सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग में लायी जाने वाली ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और अनुभवमूलक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। अपने कथन की पुष्टि के लिए सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित आँकड़ों का सहारा लिया गया है। इस सम्पूर्ण शोध पत्र में 'सेकन्डरी डाटा' का भी प्रयोग किया गया है।

## डेमोक्रेसी से ई-डेमोक्रेसी की ओर

लोकतंत्र शासन की आदर्श प्रणाली के रूप में ईसा पूर्व से ही सम्मान पाता रहा है जब पहली बार वलीआन द्वारा यह परिभाषा दी गयी कि 'सत्ता वही लोकतांत्रिक होगी जो व्यक्तियों का, व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों द्वारा संचालित होगी।' लोकतंत्र के सम्बन्ध में इन्हीं भावनाओं को आगे चलकर लिंकन ने गेट्सबर्ग में दोहराया था। सभ्यता के प्रारम्भ में जब मनुष्य का प्रथम परिचय 'सत्ता' एवं 'समाज' से हुआ तो ऐसा माना जाता है कि समाज ने केन्द्रीकृत सत्ता को ही मान्यता दी होगी लेकिन धीरे-धीरे इस केन्द्रीकृत सत्ता का भी बिखराव हुआ और लोकतंत्र अपनी भ्रूणावस्था में प्रकट हुआ। लोकतंत्र अपनी यात्रा में देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदलता रहा तथापि उसकी मूल आत्मा 'व्यक्ति' उसके केन्द्र में बनी रही। प्राचीन यूनान में जहाँ नगर-राज्य थे, जनसंख्या बहुत कम थी, आर्थिक व्यवस्था कृषि आधारित थी, जीवन तथा समाज काफी सरल थे और लोग कोई भी परिवर्तन करने के लिए आसानी से तैयार नहीं रहते थे, तब लोकतंत्र का स्वरूप 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' का था। आगे चलकर धर्म ने लोकतंत्र व राज्य की सत्ता को चुनौती दी और धर्म की सत्ता स्थापित करने का असफल प्रयास किया। औद्योगीकरण के सूत्रपात से लोकतंत्र और भी दृढ़ हुआ और संसदीय शासन-प्रणाली स्थापित करनें में मदद मिली। यह

उद्योगों का ही प्रभाव/दबाव था कि संसद के एक सदन का निर्माण विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से किए जाने की परंपरा प्रारम्भ हुई, इसे 'व्यवसायमूलक प्रतिनिधित्व' की संज्ञा दी गयी। इसे प्रतिनिधिमूलक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रारम्भ के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन 20 वीं सदी में जनसंख्या विस्फोट से जूझते राज्यों को तकनीकि क्रान्ति और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने लोकतंत्र की एक अन्य विधा से परिचित कराया जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हुए भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुणों को तकनीक की सहायता से प्राप्त करने का एक अभिनव प्रयास है। देखा जाए तो आज लोकतंत्र की चुनौतियाँ बहुत बड़ी एवं बढ़ी हुई हैं लेकिन तकनीक के द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा पाकर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन-पद्धति के रूप में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया ही ई-डेमोक्रेसी है।

## ई-डेमोक्रेसी के साधन

'लोकतंत्र' उत्तरदायी शासन के रूप में भी समादृत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के युग में भी अनुत्तरदायी शासकों को पद से हटाने का विधान था,[1] औद्योगीकरण के युग में जब संसदीय प्रणाली आयी तो वहाँ भी लोकतांत्रिक राज्य को उत्तरदायी बनाने के लिए व्यवस्थापिका को चुना गया और व्यवस्थापिका ने अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम-रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, वॉक आउट आदि के माध्यम से उत्तरदायित्व सुनिश्चत करने की व्यवस्था की। आज भी भारत सहित विश्व के अनेक देशों में इन साधनों का प्रयोग सफलतापूर्वक हो रहा है। लेकिन शिक्षा के प्रसार, तकनिकी क्रान्ति एवं लोकतांत्रिक सहभागिता ने आज सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निरीक्षण आसान कर दिया है। 21वीं सदी में 'जनता' समूचे राज्य के तंत्र पर तकनीक के माध्यम से निगरानी करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए नए-नए तकनीकी-कौशल विकसित किए गए हैं जैसे इंटरनेट (ई-मेल, सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्स ऐप, ट्वीटर, यू-ट्यूब आदि), फैक्स, एस.एम.एस., टी.वी., मोबाइल आदि। इन सबसे लोकतंत्र 'सहभागी लोकतंत्र' में बदलता जा रहा है। भारत में दूरसंचार क्रांति ने संचार साधनों का व्यापक प्रसार किया है फलतः टेलीडेंसिटी[2] बढती गयी और उसका परिणाम है कि 30 जून 2015 तक 79.98 प्रतिशत टेलीडेंसिटी रिकार्ड की गयी तथा

1 अरस्तू कृत 'पॉलीटिक्स' में इसके लिए क्रांति का समर्थन किया गया है। आगे चलकर जॉन लॉक ने भी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध क्रांति को 'दैवीय प्रेरणा' माना।

2 टेलीडेंसिटी का तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से है।

इसी अवधि में देश में कुल 100.70 करोड़ टेलीफोन कनेक्शनों में शहरी कनेक्शनो की संख्या 58-42 करोड़ थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शनों की संख्या 42.28 करोड़ थी। इसी प्रकार जून 2015 के अन्त में शहरी क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी 149-70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी 48.66 प्रतिशत थी। सर्वाधिक टेलीडेंसिटी 236.80 दिल्ली में थी और सबसे कम 49.47 बिहार में थी। निरन्तर वृद्धिरत टेलीडेंसिटी और नित्य नए-नए इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन्स (एप) ने आज मोबाइल को सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने का माध्यम बना दिया है जिससे न केवल सरकारी तंत्र को अधिक संवेदनशील, जन-केन्द्रित और उत्तरदायी बनाने में मदद मिली है वरन् जन-समस्याओं के त्वरित समाधान में भी मदद मिली है।

## ऑनलाइन सुविधाएं और गुड-गवर्नेंस

आज सरकारें जनता के विचार जानने के लिए मोबाइल द्वारा एस.एम.एस. मँगवाने, ई-मेल प्राप्त करने, सीधे फोन से संवाद करने एवं सोशल-साइट्स के माध्यम से विचार जानने जैसे साधनों का सफल प्रयोग कर रही हैं। पहले कोई विधेयक या कानून केवल व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के द्वारा ही विचार-विमर्श का विषय रहता था, जनता कानून बन जाने के बाद ही जान पाती थी, लेकिन सूचना-प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जन-सहभागिता के कारण आज सरकारें नियम बनाने या निर्णय लेने से पूर्व या कानून को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व जनता से उपरोक्त वर्णित संचार माध्यमों द्वारा प्रायः सलाह लेती हुई दिखाई देने लगी हैं।[3] भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग मोबाइल फोन एवं इंटरनेट द्वारा अधिक-से-अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों को पहुँचाने के प्रयास में लगा हुआ है क्योंकि ये संसाधन अब दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामान्य हो चुके हैं इसलिए इनके द्वारा उचित समय एवं सही सुविधा के साथ सम्पूर्ण सूचनाएं जनता तक भेजना आसान हो गया है। आज सूचना के अधिकार की जानकारी, आधार या पैन कार्ड बनाने या इनकम-टैक्स-रिफन्ड प्राप्त करने की प्रगति का रिकार्ड, बैंक खाते का लेखा-जोखा (आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करने से अब प्रत्येक व्यक्ति का बैंक एकाउंट एक प्रकार से निगरानी में है, इससे अवैध धन के हस्तांतरण पर रोक लगााने में

---

3 वाराणसी को 'स्मार्ट सिटी' कैसे बनाया जाय, इसपर जनता से फेसबुक और ट्वीटर पर या ई-मेल से सुझाव माँगे गए और इसी प्रकार यू.जी.सी. ने भी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के मुदद्े पर इन्हीं साधनों से सुझाव माँगे थे।

काफी सीमा तक मदद मिली है), एल.पी.जी. सिलेंडर के वितरण सम्बन्धी जानकारी (इससे सिलेन्डरों की समय पर डिलेवरी मिलने लगी है और कालाबाजारी पर भी अंकुश लगा है), मनरेगा से सम्बन्धित कार्य व भुगतान सम्बन्धी जानकारी (इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गयी है), कृषि क्षेत्र में जोताई, बुआई, सिंचाई या मौसम से सम्बन्धित ज्ञान (इससे किसानों को अपनी फसलों में खाद, पानी, बीज डालने और फसलों में होने वाले रोगों आदि के बारे मे सही समय पर सटीक सूचनाएं मिलने लगी हैं जिससे कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है), पासपोर्ट से सम्बन्घित जानकारी, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में मुकद्‌मों की स्थिति व प्रगति का रिकार्ड और सरकार के सभी मंत्रालयों के कार्य, उनकी योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी तथा इनकी भावी परियोजनाओं का विवरण आदि इंटरनेट व मोबाइल के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुँचायी जा रही हैं। भारत सरकार ने अपना ऐप-स्टोर लॉन्च किया है जिसमें लगभग 400 लाइव ऐप हैं, जिनका लाभ प्रत्यक्षतः दिख रहा है। इन सारी प्रारम्भिक व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र को 'गुड गवर्नेंस' के रूप मे स्थापित करने में मदद की है। सरकारी सब्सिडी को व्यक्ति के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की योजना से सरकार को यह जानने में मदद मिली है कि जिस व्यक्ति के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है वह वास्तव में सब्सिडी पाने के लिए पात्र है या नहीं। यदि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सरकार उसकी सब्सिडी रोक भी सकती है और उसकी सब्सिडी के हिस्से से किसी गरीब की मदद कर सकती है। इन कार्यों में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

## राजनीतिक दल, निर्वाचन और ई-डेमोक्रेसी

आने वाले दिनों में मोबाइल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक बन जायेगा। सैंपल सर्वे, रैंडम सर्वे, डाटा सर्वे एवं प्रश्न-सूचिका तैयार करके लोगो के विचारों को एस.एम.एस. द्वारा सरलता एवं शीघ्रता के साथ जाना जा सकता है। आज अभी भारत में राजनीतिक दल या प्रत्याशी केवल मोबाइल पर कंपनियों के माध्यम से 'प्रायोजित प्रचार' करा रहे हैं या एस. एम.एस. भेज रहे हैं (जैसे मोबाइल पर किसी दलीय प्रत्याशी के पक्ष में रिंगटोन सेट करना या एस.एम.एस. भेजना आदि) लेकिन वह दिन दूर नहीं जब भारत के प्रत्येक नागरिक के पास एक निश्चित मोबाइल नम्बर आई-डी के रूप में होगा और वह इसका प्रयोग अपना मत देने के लिए करेगा, तब चुनाव प्रक्रिया का पूरा चित्र बदल जाएगा और चुनाव बैनरों-पोस्टरों या होर्डिंग्स की जगह मोबाइल ऐप्लिकेशन्स, इंटरनेट, एस.एम.एस. या रिंगटोन्स के सहारे लड़ा जाएगा। आजादी के पूर्व और आज भी बहुत से राजनीतिक दल अपने विचारों एवं योजनाओं का जनता में प्रचार करने के लिए समाचार-पत्र निकालते रहे हैं इसके माध्यम से वे जन-समस्याओं को सरकार तक और सरकार की कमियों को जनता

तक पहुँचाते रहे हैं तथा इसके माध्यम से वे 'जनमत' का निर्माण अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आगामी चुनाव में सत्ता पर नियंत्रण किया जा सके लेकिन आज यही काम ट्वीटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, व्हाट्स-एप, एस.एम.एस., ई-मेल आदि के द्वारा होने लगा है। नए राजनीतिक दल विज्ञापन के इन अभिनव साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक मतदाताओं तक अपने दल की विचारधारा, किसी मुद्दे पर दल की प्रतिक्रिया या अपनी कोई बात बहुत ही कम समय में पहुँचा सकते हैं। चुनाव में तकनीक के प्रयोग से भारत के प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। तकनीक का प्रयोग करके प्रत्येक मतदाता यह जान सकता है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होने वाले उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता, आयु, सम्पत्ति, व्यवसाय आदि क्या है?, उसकी सार्वजनिक समस्याओं पर निजी सोच क्या है?, क्या उसका कोई आपराधिक रिकार्ड है?, यदि है, तो उसे क्या सजा मिली है?, उस उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? आज जनता में उम्मीदवार के बारे में उठने वाले इन प्रश्नों पर खुलेआम चर्चाएं होने लगी हैं, परिणामतः राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में उत्श्रृंखलता का परिचय देने वाले व्यक्तियों को अपना प्रत्याशी बनाने में हिचकने लगे हैं। इससे राजनीतिक जीवन में शुचिता एवं पारदर्शिता लाने में मदद मिली है और प्रत्याशियों एवं मतदाताओं के बीच वार्तालाप बढ़ा है, पारस्परिक सम्बन्ध मजबूत हुआ है। दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन में तकनीक का प्रयोग करके जनप्रतिनिधियों एवं जनता के बीच बेहतर सामंजस्य एवं संवाद बनाया जा सकता है। यदि कोई ऐसा ऐप्लिकेशन विकसित किया जाए जिससे कि सांसद या विधायक अपने-अपने क्षेत्र की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद, फसलें, बेरोजगारी और लोगों की आवश्यकताओं आदि की वास्तविक स्थिति आँकड़ों के साथ देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं? इससे कम समय में ही अधिक लोगों की समस्याएं निबटायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए- यदि किसी सांसद को यह ज्ञात हो जाए कि उसके निर्वाचन क्षेत्र मे किसी विशेष बीमारी के रोगी बहुतायत से मिलते हैं तो वह स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से उस विशेष रोग के उपचार की कोई विशेष व्यवस्था करा सकता है। इसी प्रकार वह किसानों की भी मदद कर सकता है। जनता स्वयं भी अपने सांसदों और विधायकों को ई-मेल, एस.एम.एस., एम. एम.एस., यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हाट्स-एप, हॉट-स्पाट आदि पर अपनी समस्याएं तुरंत भेज सकती है। इससे राजनीतिक प्रक्रिया और भी अधिक गतिशील एवं प्रभावी होगी जिससे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ जाएगी और साथ ही सामाजिक रूपान्तरण भी होगा। इन सारी व्यवस्थाओं से भारत में लोकतंत्र के एक नए युग 'नागरिक-सशक्तिकरण' का प्रारम्भ होगा।

## निर्वाचन में सुरक्षा और ई-डेमोक्रेसी

ई-डेमाक्रेसी तकनीक एवं लोकतंत्र का अभूतपूर्व मिश्रण है जो सस्ता, त्वरित एवं आकर्षक है। इसकी सहायता से चुनाव कई चरणों में सम्पन्न कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी और चुनाव के लिए कर्मचारियों तथा सुरक्षा-कर्मियों की आवश्यकता भी नगण्य हो जाएगी, इससे हजारों टन कागज की बचत होगी जो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा तथा इस प्रकार अरबों रुपए की बचत हो जाएगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने से पूर्व मोबाइल कम्पनियों के स्पेक्ट्रम एवं बैंडविथ बढ़ाने की आवश्यकता होगी तथा दूरसंचार कम्पनियों को भी तकनीकी तैयारी करनी होगी। भारत जैसे देश में तकनीक की सहायता से मतदान केन्द्रों में होने वाले फर्जी-वोटिंग एवं बूथ-कैप्चरिंग को भी रोका जा सकता है, ऐसे संवेदनशील केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी और ड्रोन-कैमरों की व्यवस्था तथा इन मतदान-केन्द्रों से मतदान का सीधा प्रसारण करके उन्हें 'चेक' किया जा सकता है और तकनीक इसमें मददगार होगी। निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए और मतदाता पहचानपत्र को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार के फर्जी मतदाताओं (चाहे वह किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने आए हों, या किसी मृत व्यक्ति के नाम पर वोट डालने आए हों, या ऐसे व्यक्ति हों जिनका नाम दो निर्वाचन क्षेत्रों मे चल रहा है) को वोट डालने से सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। इस प्रकार ई-डेमोक्रेसी निर्वाचन प्रणाली में शुचिता का आधार बन सकती है।

## जनमत निर्माण और ई-डेमोक्रेसी

तकनीक ने राजनीतिक विचारों के टकराव का एक नया रंगमंच तैयार कर दिया है जिसमें सभी दल आज खेलते दिखायी दे रहे हैं इसके लिए सभी दलों ने अपने-अपने 'तकनीकी सेल' विकसित कर लिए हैं। आजकल टी.वी. चैनलों पर होने वाली बहसों में सभी राजनीतिक दल अपने ऐसे प्रवक्ताओं को भेजते हैं जो अपने दल का पक्ष बड़े ही विश्वास एवं तर्क के साथ रख सकें क्योंकि इस प्रकार की बहस भी 'जनमत' का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वस्तुतः जैसे-जैसे शिक्षा व तकनीक का प्रसार भारत में हुआ वैसे-वैसे तकनीक को माध्यम बनाकर को सभी दलों ने राजनीतिक वातावरण - चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष - अपने पक्ष में करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया, इससे तकनीक, जनता और राजनीतिक दल सभी एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। आज तकनीक ने समूचे सरकारी-तंत्र की कार्यप्रणाली को बदल कर रख दिया है। लोककल्याणकारी-राज्य में

सरकार का कार्यक्षेत्र बढ़ने के साथ-ही-साथ तकनीक के माध्यम से सरकार पर जन-नियंत्रण भी बहुत बढ़ गया है फलस्वरूप सरकार को और भी अधिक उत्तरदायी ढंग से कार्य करना पड़ रहा है, इससे पारदर्शिता बढ़ गयी है और 'लोक' एवं 'तंत्र' के बीच की दूरी सिमट गयी है, समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सम्बन्ध मजबूत हुआ है तथा परंपरागत समाज 'नेटवर्क्ड सोसाइटी' में बदलने लगा है। लोकतंत्र में 'नीति-निर्माण-प्रक्रिया' और 'निर्णय-निर्माण-प्रक्रिया' का बहुत महत्व है, पहले इन प्रक्रियाओं में नौकरशाह एवं राजनेता मुख्य भूमिका निभाते थे लेकिन आज सूचना-प्रौद्योगिकी ने 'जनता' को निर्णय-निर्माण तथा नीति-निर्माण की प्रक्रिया के केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया है,[4], इससे नौकरशाही का प्रभाव घटा है तथा राजनेता प्रत्यक्षतः जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहे हैं।[5]

इंटरनेट युक्त सूचना प्रौद्योगिकी की जनता तक आसान एवं सुनिश्चित पहुँच बनाने के उद्देश्य से ही अनेक देशों ने इसे मूल अधिकारों से जोड़ने का प्रयास प्रारम्भ किया है क्योंकि यह सूचना का माध्यम होने के साथ ही विचार-अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। कोस्टारिका, एस्टोनिया, फीनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन आदि देशों ने इंटरनेट को मूलभूत अधिकारों की सूची में जोड़ने की दिशा में कदम उठाया है। भारत में भी इस दिशा में चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि इंटरनेट मुख्य रूप से विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने, राजनीतिक चेतना व सहभागिता को बढ़ाने और राजनीतिक दायित्व को प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करने में अत्यंत कारगर सिद्ध हुआ है।

## चुनौतियाँ

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता केवल लगभग 75 प्रतिशत है वहाँ तकनीक का इतने व्यापक स्तर पर प्रयोग कहाँ तक उचित होगा? भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच बहुत अधिक 'डिजिटल गैप' है और साथ ही भारतीय समाज का एक वर्ग किसान है जो कम्प्यूटर नहीं जानता तो दूसरा वर्ग कम्प्यूटर का अभ्यस्त, ऐसी दशा में 'डिजिटल गैप' या 'डिजिटल डिवाइड' को पाटना आसान काम

4 ए. जिमर, 'डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी - द पब्लिक स्फेयर ऐण्ड द इंटरनेट', सेज पब्लिकेशन्स डॉट कॉम/कन्टेन्ट/27/4/21.रिफ

5 व्हिटापर जैसन, 'साइबर स्पेस ऐण्ड द पब्लिक स्फेयर' राउलेट्ज प्रेस, अमेरिका, 2004, पृ. 257-275

कदापि नहीं है। यह भी कहा जाता है कि भारत में निरक्षरों की एक बड़ी फौज है लेकिन इस समस्या का समाधान भी तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। जिस प्रकार गूगल-सर्च पर बोलकर ढूँढने का विकल्प (यू.आर.एल.) उपलब्ध है उसी प्रकार के अन्य ऐप विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि कम पढ़े-लिखे नागरिक भी अपने विचारों या मतों को व्यक्त कर सकें, इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास करना होगा जिससे कि अंग्रजी या हिन्दी न जानने वाले व्यक्तियों को भी तकनीकी सुविधाएं प्रदान कर उन्हें लोकतंत्र की भावी प्रवृत्तियों से परिचित कराया जा सके। इससे एक अन्य लाभ यह भी होगा कि वर्तमान वैश्वीकरण के प्रवाह में घायल हो रही क्षेत्रीय भाषाओं को भी नया जीवन मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र की इन चुनौतियों में ही हमें नयी सम्भावनाएं भी खोजनी होंगी। गाँव का इतिहास, गाँव का लोक-संगीत, गाँव की संस्कृति, गाँव की हरियाली, गाँव की परम्पराएं, गाँव की देशी दवाएं, गाँव के नैतिक मूल्य और गाँव के बाजार आज की विकसित और भाग-दौड़ से भरी शहरी सभ्यता की थकान मिटाने के नए ठिकाने हैं। आज गाँव अपने आप में ही एक 'अपारचुनिटी' बन रहा है क्योंकि 'विलेज टूरिज्म' का प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसे में तकनीक का प्रयोग करके अपने गाँव को इंटरनेट एवं गूगल के मानचित्र पर लाकर विकास की प्रक्रिया से जोड़ना आसान हो गया है। यदि प्रत्येक गाँव में एक छोटा सा 'इन्फॉरमेशन सेन्टर' बना दिया जाए तो इन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है।

## सम्भावनाओं का व्यापक क्षेत्र

भारत में जिस प्रकार से मोबाइल-बैंकिंग या फोन कॉल पर एम्बुलेन्स जैसी सुविघाएं सफलतापूर्वक दी जा रही हैं उसी प्रकार यदि मोबाइल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति माह खाद्यान्न की उपलब्धता एवं वितरण का रिकार्ड भी उपभोक्ताओं को भेजा जाए, या मनरेगा में काम की उपलब्धता एवं पैसे के वितरण का ब्यौरा भी मजदूरों को उनके मोबाइल पर भेजा जाए, संसद एवं विधानसभाओं में प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण मोबाइल पर भेजा जाए, या पुलिस थानों में होने वाले एफ.आई.आर. की सूचना (जिस व्यक्ति से सम्बन्धित हो) या उस मामले की जाँच आदि में हुई प्रगति का ब्यौरा दैनिक या साप्ताहिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को भेजा जाए, या किसानों के लिए नए मोबाइल ऐप विकसित किए जाएं, किसी तहसील के मुख्य सरकारी अस्पताल में आगामी सप्ताह में कौन-कौन से डॉक्टर बैठेंगे, उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है, सरकारी अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं हैं इसकी जानकारी उस तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले सभी परिवारों के

मुखिया को मोबाइल पर एस.एम.एस. द्वारा दे दी जाए तो इन सभी सुविधाओं से 'व्यवस्था' पर 'जन-नियंत्रण' बहुत बढ़ जाएगा। स्थानीय स्तर पर जन-समस्याओं के समाधान की दिशा में 'सोशल-मीडिया' और 'सिटिजन-जर्नलिस्ट' की भूमिकाओं के साथ ही आज प्रत्येक सरकारी विभाग में टोल-फ्री नम्बरों वाले 'शिकायत-प्रकोष्ठ' की स्थापना की जानी चाहिए। इन कार्यों से 'सुशासन' और सार्थक व सफल लोकतंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगी। इन उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिए केन्द्र एवं सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अपना एक व्यापक एवं तीव्रगामी संचारतंत्र विकसित करना होगा, नागरिकों के मोबाइल डाटाबेस में सामाजिक-आर्थिक दशाओं, व्यावसायिक योग्यताओं और उनकी आवश्यकताओं के साथ विकसित करना होगा। इस डाटाबेस में व्यक्तियों का व्यापक वर्गीकरण करना होगा तथा समय-समय पर इसमें निगरानी एवं सुधार के लिए भी तंत्र विकसित करना होगा। भारतीय लोकतंत्र को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अब हमें सचेष्ट हो जाना चाहिए।

## निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हुई हैं। आज का नागरिक समाज राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अधिक संवेदनशील एवं त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला है। आज ग्राम प्रधान से लेकर उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की कार्यशैली एवं कार्य-संस्कृति जागरूक जनता की निगरानी में है। इससे निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता बढ़ी है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की एक नवीन चेतना का प्रसार हुआ है।

राजनीतिक दल अब इलेक्ट्रॉनिक साधनों का बहुतायत के साथ प्रयोग करने लगे हैं और उनकी नीतियाँ, निर्णय एवं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उनकी वेबसाइट पर अपडेट होने लगी हैं। आज राजनीतिक दल मोबाइल फोन, फेसबुक या व्हाट्स-एप के माध्यम से प्रत्येक मतदाता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फलतः जनता के वोटों के 'परम्परागत ठेकेदार' (अर्थात बिचौलिए) समाप्त हो गए हैं। इससे राजनीतिक दल-मतदाता सम्बन्ध अधिक प्रगाढ़ हुए हैं, जनता वास्तव में 'जनार्दन' बन रही है।

ई-डेमोक्रेसी के कारण सरकार अपनी नीतियों एवं निर्णयों का प्रतिदिन मूल्यांकन करने लगी है क्योंकि जनता से फीडबैक आसानी एवं जल्दी से मिल जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन

में आ रही बाधाएं एवं उससे जुड़ी हुई शिकायतें भी फीडबैक के माध्यम से सरकार तक अविलंब पहुँचने से उनके निस्तारण में तेजी आयी है। वस्तुतः आज राजनीतिक एवं प्रशासनिक जन-जागरूकता बढ़ी है फलतः सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुशासन की ओर अग्रसर हो रही है। अन्त में, यह कहा जा सकता है कि ई-डेमोक्रेसी से 'नागरिक सशक्तिकरण' के एक नए युग का प्रारम्भ हुआ है जो हमारे लोकतंत्र को नया जीवन एवं अर्थ प्रदान कर रहा है।